भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4133

12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ करने के उद्देश्य

4133. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न राज्यों में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई) शुरू करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं तथा इसके प्रारंभ से अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमजीकेएवाई के लाभ सभी पात्र परिवारों तक पहुंचे, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला खाद्यान्न निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप हो तथा लाभार्थियों के लिए पर्याप्त हो, हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) देश में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों से पीड़ित गरीबों और जरूरतमंदों की कठिनाइयों को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू की गई थी।

गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ कम करने और गरीबों की सहायता के लिए इस कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी, 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क अनाज वितरित किया। नि:शुल्क अनाज वितरण की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपए है, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी।

...2/-

(ख): मध्य प्रदेश में, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 54,110,413 (16 जुलाई 2026) लाभार्थी नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।

(ग): पीएमजीकेएवाई का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र और राज्यों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, लाभार्थियों की पहचान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न का आवंटन, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण और उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज के पर्यवेक्षण निगरानी आदि की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने हेतु परामर्शिका जारी की है। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। इस प्रकार, अधिनियम के तहत अपात्र लाभार्थियों को हटाना और पात्र लाभार्थियों को जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

(घ): लक्षित लाभार्थियों में पौषणिक मानकों में सुधार करने के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट पौषणिक मानदंडों को संशोधित किया है।

इसके अलावा, पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं के अनुसार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने हेतु परामर्शिका भी जारी की गई है।
